

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, मधुबनी के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 01 कामगार के दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए मात्र) का भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-80, दिनांक-19.03.2020 के क्रम संख्या-01 में वर्णित खाता संख्या में राशि अंतरित किया गया था, परन्तु क्रम संख्या-01 पर अंकित लाभार्थी का UTR No Not Generate due to System रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक-80, दिनांक-19.03.2020 के क्रम संख्या-01 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, मधुबनी के त्रुटि निराकरण परिमार्जन पत्रांक-1344, दिनांक-17.12.2025 तथा लेखापाल के प्रतिवेदन के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों/ शिल्पकारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार एवं आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता एवं मोबाईल नंबर	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, 60, स्व० लखी गुप्ता, सामान्य जाति	गीता देवी, (पत्नी) 415152578155	465 19.10.2019 / 1344 17.12.2025	ग्रा०+पो०- दुल्लीपट्टी, था०+प्र०- जयनगर, जिला-मधुबनी, 8271936803	3206010000 01560	Indian Overseas Bank IOBA000 3206	रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, सब्जी बिक्री का कार्य

कुल:-रु० 1,00,000/-

(एक लाख रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक- ज्ञापांक-80, दिनांक-19.03.2020 के क्रम संख्या-01 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-47/2019.०1

पटना, दिनांक :- ०१/०१/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम

संसाधन विभाग को सूचनाएँ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संचालन करना सुनिश्चित करेंगे/अम
अधीक्षक, मंडूबनी/उप अमायुक्त, मंडूबनी को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्याएँ प्रेषित/आई०टी०
मैनेजर, अम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनाएँ एवं आवश्यक
कार्याएँ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को
सूचनाएँ प्रेषित।

30/12/2025

Signed by Rohit Kumar

Date: 30-12-2025 12:44:06

(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त प्रशाधिकारी

(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक

Rajesh Bhatt.